न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 550/2017

1. बलविन्द्र सिंह अध्यक्ष, शमशान भूमि कमेटी, हिन्दुमलकोट, जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 22.12.2017

प्रार्थी उपरोक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम 7 बी बडी ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट में शमशान भूमि के लिए रास्ता नहीं है। कृपा करे शमशान भूमि के लिए रास्ता मंजूर स्वीकृत करने की कृपा करें। शमशान भूमि से लेकर गांव की तरफ 3 बीघा (तकरीबन) काश्तकारों ने रास्ता छोड रखा है। आगे सरकारी भूमि में 2 बीघा रास्ता नहीं है। जो कि मंजूर करवायाजा कर ग्रामीणों को राहत प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट रास्ता मौके पर चालू है व सार्वजनिक शमशान भूमि का है। अतः रास्ता स्वीकृत किये जाने की अभिषंशा की जाती है।

उप तहसीलदार, हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली के तथ्यों एवं परिस्थतियों का अवलोकन किया गया।

उप तहसीलदार, हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के मुताबिक मुरब्बा नम्बर 7 बी बडी के खाता नंबर 90/79 सुन्दरी बाई पत्नी पालाराम के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 14 में 0.006 हैक्टयर व किला नम्बर 15 में 0.013 हैक्टयर कुल 0.019 हैक्टयर गैरमुमकीन रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं खाता संख्या 130/120 मुरब्बा नम्बर 85/2.06 गैरमुमकिन विश्राम गृह–रेस्ट हाउस हिन्दुमलकोट में से किला नम्बर 13 में 0.006 हैक्टयर, किला नम्बर 14 में 0.006 हैक्टयर, किला नम्बर 18 में 0.013 हैक्टयर, कुल 0.031 हैक्टयर गैरमुमकीन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार उक्त चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता संबन्धित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा, परन्तु नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व उक्त रकबे की किस्म गैरमुमकीन रास्ता दर्ज की जायेगी व उक्त आदेश के आधार पर नामान्तकरण के जरिये रास्ते का अंकन लाल स्याही से किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)